

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1701/11-सी- FP/UP/Approach/153459/2022, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 26, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

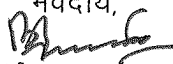
विषय:- जनपद-मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) शहरी भाग के किमी० 162-163 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम मुतफाबाद तहसील सदर की खसरा/गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114मि० पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.065918 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/Approach/153459/2022

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र-8बी/यू०पी०/06/136/2023/एफ०सी०/465 दिनांक 29.12.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-1798/14-1 दिनांक 13.12.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1701/11-सी FP/UP/Approach/153459/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

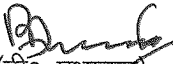

(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1701/11-सी FP/UP/Approach/153459/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद।
- 3- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 3227/ 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 14-06-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-वरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) शहरी भाग के किमी० 162-163 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद तहसील सदर की खसरा/गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1मि० पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.065918 हे० (Entry Area=0.026584ha.+ Exit Area=0.026584ha.+ Separator island=0.01275ha. Total area is 0.065918 ha.) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06वृक्षों व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में। **File No. FP/UP/Approach/153459/2022**

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8B/UP/06/136/2023 /FC/465 दिनांक 29.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-4797/14-1 दिनांक 12.06.2024 द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 3227/ 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्र दिनांक 12.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

नविट्स

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेशन, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)
पत्रांक ५५९४ / १५-१ दिनांक, मुरादाबाद, जून, १२ २०२४.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / मोडल अभियन्ता
उ०१०, लखनऊ।

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/153459/2022

विषय-

जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-२४) शहरी भाग के कि०मी० १६२-१६३ के मध्य बॉन्डी पट्टरी पर ग्राम मुरादाबाद, तहसील-सोहर की खसरा/गाटा संख्या-११२ मि०, ११३ मि० व ११४ मि० पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्यक् मार्ग निर्माण में प्रभावित ००६५९१८ हे० (Entry area = ०.०२६५८४ ha. + Exit area = ०.०२६५८४ ha. + Separator island = ०.०१२७५ ha., Total area is ०.०६५९१८ ha.) संरक्षित वन भूमि के नीचे वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०६ वृक्षों व ०२ पोथों (कुल ०८ वृक्षों/पोथों) के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं०-८३/गु०पी०/०६/१३६/२०२३/एफ०सी०/४६५ दिनांक २९-१२-२०२३

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रसंगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दि० २९-१२-२०२३ द्वारा कतिपय शर्तों (१ से २३ तक) के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक रहित (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विन्युक्त निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत् किया गया है, अतः निर्धारित प्रपत्र में विन्युक्त अनुपालन आख्या व प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल २.० पर अपलोड कर सन्तुष्टि सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को अवगत कराते हुए कृता कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें-

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल २.० पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-१)
2	Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.132 ha. degraded forest land in Basantipur Ramrai Forest Block, Tehsil & District- Moradabad at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रभावित वन भूमि के दुगुनी अवनत वन भूमि (०.१३२ हे०) पर १३२ पोथों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु०-११९०००/- (कुल धनराशि रु०-१८२१३५/-) का मुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No-1509070153459799 UTR NO -NTB0311492492444 dt.-28-05-2024 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, FCS Centre 21 Mission, III floor, Jelitta towers, Bengaluru-560027, IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है (ई-चालान की छायाप्रति संलग्न है- संलग्नक-२)
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल २.० पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-३)
4	The State Government shall charge the net present value (NPV) for the 0.065918ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guide lines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pl.II) dated 18-09-2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user agency in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटोरान (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ०सी०, दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि रु०-६३१३५/- (कुल धनराशि रु०-१८२१३५/-) का मुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से A/C No-1509070153459799 UTR NO -NTB0311492492444 dt.-28-05-2024 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, FCS Centre 21 Mission, III floor, Jelitta towers, Bengaluru-560027, IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है। (ई-चालान की छायाप्रति संलग्न है- संलग्नक-४)
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if nay, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल २.० पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-५)
6	User agency shall restrict the felling of trees to 8 trees /minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाईन परिवेश पोर्टल २.० पर अपलोड कर दिया

५/८

	under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	गया है (संलग्नक-6)
7	Separator island has to be maintained as green belt, in consultation with DFO. Green belt plan of Separator island shall be provided by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of separator island/entry & exit/service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-7)
8	Entire Periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter Keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-8)
9	User agency and Authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for Entry-Exit and separator island strictly as per the approved layout plan and any violation/non adherence shall attract penal action/prosecution in competent court of jurisdiction as per FCA(1980). Rules and guidelines.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-9)
10	Green plan approved by DFO in respect of separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-10)
11	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-11)
12	No violation of FCA Certificate from concerned DFO Shall be provided.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-12)
13	Greenery will be maintained by user agency around periphery of petrol pump.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-13)
14	User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-14)
15	Plantation shall also be done along the inside boundary of fuel station.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-15)
16	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guide lines date 24-07-2013 has to be provided.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-16)
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-17)
18	The period of diversion under this proposal shall co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-18)
19	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the egreen watch portal with all requisite details, before commencement of works.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-19)
20	The violation of any of the condition stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC Rules and guidelines as applicable, specially MoEFCC guidelines dated 15/05/2023. processing of proposals involving violation of Forest Conservation Act (1980)-Authorising State Government/Union Territory Administrations to take cognizance of the offence of committed under the Forest Conservation Act (1980), authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer(DFO)/Deputy Conservator of Forest(DCF) and above of the State Government or Union Territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest Conservation Act (1980) is committed or violation of the provision of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-20)
21	Any other condition that the ministry of environment, forests & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-21)
22	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through E-portal (https://parivesh.nic.in).	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-22)
23	The compliance report shall be uploaded on E-portal (https://parivesh.nic.in)	वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-23)

	गया है (संलग्नक-23)
CA amount as per Proposal	119000/-
CA amount deposited	119000/-
Difference in amount	-
Reason for difference	-
NPV amount as per proposal	63135/-
NPV amount deposited	63135/-
Difference in amount	-
Reason for difference	-
Any other amount deposited-(Complete details be provided)	-
CAMPA Confirmation	-

संलग्नक-यथोपरि।

महोदय
12/12/24
(सूरज)
प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक

(1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-
2-
3-
4-

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

श्री गया प्रसाद, वरिष्ठ क्षेत्रीय विक्रय प्रबन्धक, मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र, एच0पी0सी0एल0, बरेली रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, महालक्ष्मी टावर्स, 112 सिविल लाईन, बरेली 243001.

लेखा प्रभारी, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।

क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।

(सूरज)
प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।